



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2025/ 114

—:आदेश:—

दिनांक 18.3.2025

प्रार्थी श्री चुन्नीलाल पुत्र देवाराम जाति कुम्हार हाल निवासी खुडाला के शुद्धि प्रार्थना पत्र एवं जांच रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक मौखमपुरा की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मौखमपुरा तहसील बाली के खसरा नंबर 399 के संबंध में माफिक रिपोर्ट निरीक्षक भू-अभिलेख मौखमपुरा की रिपोर्ट अनुरूप सेग्रिगेशन के दौरान हुई त्रुटि को संशोधन करते हुये रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण हिस्साकरसी गजाराम पुत्र देवा हिस्सा 1/30, चुन्नीलाल पुत्र देवा हिस्सा 1/30, रमेश कुमार प्रजापत पुत्र गजाराम हिस्सा 1/15 की बजाय सही व शुद्ध गजाराम पुत्र देवा हिस्सा 2/45, चुन्नीलाल पुत्र देवा हिस्सा 2/45, रमेश कुमार पुत्र गजाराम हिस्सा 2/45 शुद्धि के आदेश दिये जाते हैं। रिकॉर्ड में दर्ज शेष सहखातेदारों के इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावें। पटवारी हलका मौखमपुरा तथा तहसीलदार बाली आदेश की पालना करना सुनिश्चित करें।

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी बाली

पदेन सहा. कलक्टर, बाली

दिनांक 18.3.2025

क्रमांक/कोर्ट/2025/ 257- 259

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हलका मौखमपुरा को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री चुन्नीलाल पुत्र देवाराम जाति कुम्हार हाल निवासी खुडाला तहसील बाली को सूचनार्थ।



पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली